

प.7(1)वित्त/समन्वय/2017

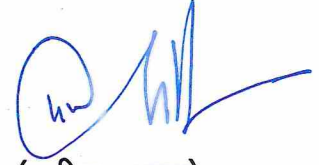
जयपुर, दिनांक 12/11/2025

आदेश

वित्त विभाग के स्थाई आदेश (Standing Order) दिनांक 10.02.2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. बिन्दु संख्या 8.1 व 8.2 से संबंधित कार्य संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) से हटाकर संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-11) को आवंटित किया जाता है।
2. बिन्दु संख्या 10.4 से संबंधित कार्य JSF (FR) से हटाकर JSF-cum-DTA को आवंटित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(मनीष माथुर)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सचिव, उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री), राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/विधि परामर्शी, वित्त विभाग।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव